पत्र सं0—स्था0—2—विभागीय कार्यवाही /2022—23/ 1863 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक: 24 अगस्त,2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त
अपर आयुक्त ग्रेड—2, संयुक्त आयुक्त,
उपायुक्त, सहायक आयुक्त,
राज्य कर, उ0प्र0।

कृपया उ0प्र0 शासन, के पत्र सं0—राज्य कर—1—1099/11—2022 दिनांक 11.08.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य कर विभाग के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही/जांच के ऐसे प्रकरण, जिनमें जांच आख्या अत्यधिक समय से अप्राप्त है, की समीक्षा प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग द्वारा की जानी है। जिसके क्रम में विभागीय कार्यवाही/जांच के जिन प्रकरणों में जांच, जांच अधिकारियों के स्तर पर एक वर्ष या लम्बे समय से लम्बित हैं, उन जांच अधिकारियों को शीघ्र जांच पूर्ण कर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

समसंदर्भ में अवगत कराना है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य कर विभाग के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही के ऐसे प्रकरणों में जिनमें आपको नाम से अथवा पदनाम से जांच अधिकरी नियुक्त किया गया है और जांच अधिकारी के स्तर पर जांच आख्या एक वर्ष या लम्बे समय से लम्बित हैं, उन जांच अधिकारियों को शीघ्र जांच पूर्ण कर जांच आख्या तीन कार्य दिवस में शासन को उपलब्ध कराने एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि निकट भविष्य में प्रमुख सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा इस संदर्भ में समीक्षा की जानी सम्भावित है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0 संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि—विशेष सचिव राज्य कर अनुभाग—1 उ0प्र0 शासन लखनऊ।

अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।